

### प्रपत्र-3

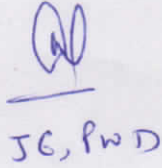
परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में रौंथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा-खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण। (घोषणा संख्या-121/2010) (लम्बाई 30.00 किमी0+1 सेतु)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

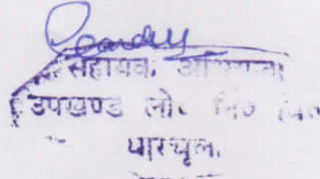
परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी



JG, PWD

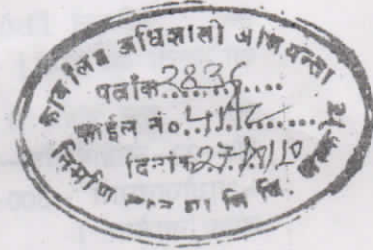


सहायक, अभियन्ता  
उपखण्ड लोक निर्माण  
पारंगुल

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्या:- 5519 / 111(2) / 10-06(मु0म0घो0) / 2010

महिमा,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।



मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

देहरादून दिनांक: 15 अक्टूबर, 2010

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र सं0:- 1871/02 यातायात-क दिनांक 27-08-2010 द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ़ में संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट कन्सल्टेंट्स आदि मदों के लिये आंकलित की गई लागत ₹ 816.90 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 816.90 लाख (रु० आठ करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 07 कार्य हेतु ₹ 0.70 लाख (रु० सत्तर हजार मात्र) को व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

- 8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अभियन्ता का होगा।
- 10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के सं०-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के डाला जायेगा।
- 11- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 440/XXVII(2)/2010 दि०: 15 अक्टूबर, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)  
अनु सचिव

संख्या:-5519 (1)/111(2)/10-06(मु०म०घो०)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

महिमा

(महिमा)  
अनु सचिव

अधीक्षण अभियन्ता

तृतीय वृत्त लो०नि०वि०

पिथौरागढ़

पत्रांक 4105/509 दाला 0-3/10

दिनांक 25/10/10

प्रतिलिपि आधीक्षण अभियन्ता, जनपद पिथौरागढ़/देहरादून।  
मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।  
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़/देहरादून।  
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।  
अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि० पिथौरागढ़।  
लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।  
गार्ड बुक।

अधीक्षण अभियन्ता  
तृतीय वृत्त लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़  
25/10

शासनादेश संख्या:- 5519 (1)/111(2)/10-06(मु0मं0घो0)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010  
का संलग्नक

| क्र०<br>सं० | कार्य का नाम                                                                                                  | लम्बाई<br>(किमी०<br>में) | टी०ए०सी०<br>वित्त द्वारा<br>अनुमोदित<br>लागत<br>(लाख ₹ में) | वित्तीय वर्ष<br>2010-11 में<br>व्यय हेतु<br>स्वीकृत<br>धनराशि<br>(लाख ₹ में) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01          | जनपद पिथौरागढ़ में पाली-रतौली मोटर मार्ग का भौतड़ी तक विस्तार घोषणा सं०:-134/2010                             | 3.00                     | 37.80                                                       | 0.10                                                                         |
| 02          | जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव-रजवार- बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।<br>घोषणा सं०:- 138/2010        | 10.00                    | 126.00                                                      | 0.10                                                                         |
| 03          | जनपद पिथौरागढ़ में मडमांडले से ग्लात मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा सं०:-137/2010                            | 2.00                     | 25.20                                                       | 0.10                                                                         |
| 04          | जनपद पिथौरागढ़ में जुगापानी-कोलटिया मोटर मार्ग का नवनिर्माण। घोषणा सं०:-135/2010                              | 6.00                     | 75.60                                                       | 0.10                                                                         |
| 05          | जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव मलान, काण्डाधार चमडुंगरी मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निर्माण।<br>घोषणा सं०:-133/2010 | 9.00 +<br>2 सेतु         | 113.40                                                      | 0.10                                                                         |
| 06          | जनपद पिथौरागढ़ में रौथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा-खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निर्माण।<br>घोषणा सं०:-121/2010     | 30.00 +<br>1 सेतु        | 388.50                                                      | 0.10                                                                         |
| 07          | जनपद पिथौरागढ़ में पीपली-पन्तसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा सं०:-136/2010                               | 4.00                     | 50.40                                                       | 0.10                                                                         |
|             | योग:-                                                                                                         |                          | 816.90                                                      | 0.70                                                                         |

( कुल ₹ सत्तर हजार मात्र)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

( महिमा )  
अनु सचिव